संख्या ३६।३२।७२-स्थापना(क)

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली-११०००१, दिनांक 13 दिसम्बर, १९७२

## कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अनुशासनिक कार्रवाइयों के संबंध में जांच अधिकारियों की नियुक्ति ।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 'कार्मिक प्रशासन' संबंधी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है:-

"४६- हम सिफारिश करते हैं कि जहां कहीं विभागीय जांच से सम्बन्धित कार्य की मात्रा इतनी हो कि उसके लिए किसी विभाग या विभाग समूह या किसी प्रदेश के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति उचित हो तो ऐसी स्थिति में एक पृथक पूर्णकालिक और अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में पूरी तरह से प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए ।"

(सिफारिश संख्या ४६)

२- इस सिफारिश पर विचार किया गया है । गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या ३६।४०।५२ -स्थापना, दिनांक ७ अक्तूबर, १९५२ में, जांच अधिकारी को, अपने कार्य में अत्यधिक संलग्न रहने तथा निर्धारित क्रिया विधि से अनभिज्ञ होने के कारण विभागीय कार्रवाईयों में लगने वाले विलम्ब को दूर करने के प्रसंग में जांच अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, विभिन्न मंत्रालयों।विभागों को पहले ही निम्नलिखित उपाय सुझाये जा चुके थे :-

.....२

(I) प्रत्येक मंत्रालय । विभाग में उचित रैंक के विशिष्ट अधिकारी (अधिकारियों को) नामित किया जाएगा और उसे उक्त मंत्रालय। विभागा के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली सभी विभागीय जांच-पड़ताल के कार्य दिए जाएंगे ।

(II) जैसे ही ऐसी जांच-पड़ताल करने का अवसर आए नामित किए गए उक्त अधिकारी का सामान्य कार्य इतना हल्का कर दिया जाएगा जितना कि जांच कार्य पूर्ण करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे अपना पूर्ण एवं सावधानी पूर्वक ध्यान लगाने में आवश्यक हो । इस अवधि का कार्य जो कि उक्त अधिकारी से लिया जाए, उसे अन्य अधिकारियों में बांट दिया जाए ।

(III) उक्त नामित अधिकारियों को स्वयं नियम एवं आवश्यक क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा विभागीय जांच-पड़ताल और फौजदारी न्यायालयों के अन्तर्गत चलाए जाने वाले अभियोगों में अंतर जानना चाहिए । वे गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग) से निकट का सम्पर्क बनाए रख कर अपने सामने उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के संदेहों अथवा कठिनाइयों का तुरन्त समाधान कर सकेंगे ।

३- यदि विभागीय जांच-पड़ताल शीघ्रता से निपटाने के लिए इन अनुदेशों का पूर्णत: अनुपालन किए जाएं तो विभागीय कार्रवाइयों के लिए किसी भी पूर्णकालीन अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु, जब विभागीय कार्रवाइयों के संबंध में कार्य की मात्रा इतनी अधिक हो कि विभागीय जांच-पड़ताल करने के पयोजन के लिए किसी पूर्णकालीन अधिकारी को नियुक्त करना उचित हो तो,

.....३

वित्त मंत्रालय आदि किसी भी विभाग या कार्यालयों के ग्रुपों या किसी क्षेत्र के लिए एक पूर्णकालीन अधिकारी जो अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करनेमें पूर्णतया प्रशिक्षित हो, नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं ।

(एस० कृष्णन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रेषण के लिए प्राधिकृत
एच. एस. ढिल्लों
(एच०एस० ढिल्लों)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

सभी मंत्रालय।विभाग आदि, आदि को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

संख्या ३६।३२।७२-स्थापना(क) दिनांक 13/12 १९७२

प्रति निम्नलिखितों को अग्रसारित :-

१- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
२- भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक, २०० अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
३- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, २५ अतिरिक्त प्रतियों सहित।
४- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
५- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
६- सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
७- गृह मंत्रालय । कार्मिक विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
८- कार्मिक विभाग के प्रशासन I/ प्रशासन II/ ए०वी०डी० I, II, III तथा IV/ स्थापना (ख) ।पी०पी० विंग । सी०एस० I / सी०एस० II / सी०एस० III स्थापना(ड०) अनुभाग ।

(एस० कृष्णन)
उप सचिव, भारतसरकार

।पटवाल।